

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

### आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 297 / 2023


दिनांक : 01.02.2023

श्री किशन सान्दू (RJ1397), न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, सांकड़ा मुख्यालय-पोकरण को दिनांक 20.02.2023 से 04.03.2023 तक 13 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 18.02.2023 से 19.02.2023 एवं 05.03.2023 से 07.03.2023 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री सान्दू की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, सांकड़ा मुख्यालय-पोकरण के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से


  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 01.02.2023

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/150/2020/757

दिनांक : 01.02.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर को उनके पत्रांक 170 दिनांक 19.01.2023 के सन्दर्भ में।
3. श्री किशन सान्दू (RJ1397), न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, सांकड़ा मुख्यालय-पोकरण।
4. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, सांकड़ा मुख्यालय-पोकरण।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण।

  
सहायक रजिस्ट्रार